



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072020-220808
CG-DL-E-31072020-220808

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 381]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2020/श्रावण 9, 1942

No. 381]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2020/SRAVANA 9, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2020

सं. 66 /2020-सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 486(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 30, 30क, 41, 41क, 53, 54, 56, धारा 98 की उपधारा (3) और धारा 158 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट रेगुलेशन्स, 2018 में और आगे भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.—(1) इन विनियमों को सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट (द्वितीय अमेंडमेंट) रेगुलेशन्स, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट रेगुलेशन्स, 2018 में, विनियम 15 में;

- क. उपविनियम (1) में, अभिव्यक्ति “15 मई, 2020 से लेकर 1 अगस्त, 2020” के स्थान पर अभिव्यक्ति “15 मई, 2020 से लेकर 30 सितंबर, 2020” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- ख. उपविनियम (2) में, शब्द, अंक और अक्षर “1 अगस्त, 2020 तक” के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर “30 सितंबर, 2020 तक” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 450/58/2015-सीमाशुल्क-IV]

आनंद राधाकृष्णन, उप सचिव (सीमाशुल्क)

टिप्पणी: इस प्रधान विनियमावली को सा.का.नि. 448 (अ), दिनांक 11 मई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड (3), उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 14/2020-सीमाशुल्क (गै. टै.), दिनांक 14 फरवरी, 2020, सा.का. नि. 121 (अ), दिनांक 14 फरवरी, 2020 के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2020

No. 66/2020-Customs (N.T.)

G.S.R. 486(E).—In exercise of the powers conferred by section 157, read with sections 30, 30A, 41, 41A, 53, 54, 56, sub-section (3) of section 98 and sub-section (2) of section 158 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Sea Cargo Manifest and Transhipment Regulations, 2018, namely: -

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Sea Cargo Manifest and Transhipment (Second Amendment) Regulations, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Sea Cargo Manifest and Transhipment Regulations, 2018, in regulation 15:
 - a. in sub-regulation (1), for the expression, “from 15th May, 2020 till 1st August, 2020”, the expression, “from 15th May, 2020 till 30th September, 2020” shall be substituted;
 - b. in sub-regulation (2), for the words, figures and letters “till 1st August, 2020” the words, figures and letters “till 30th September, 2020” shall be substituted.

[F. No. 450/58/2015-Cus-IV]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy. (Customs)

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section (i) vide number G.S.R. 448(E), dated the 11th May, 2018 and were last amended vide notification No. 14/2020-Customs (N.T) dated the 14th February, 2020 vide number G.S.R. 121 (E), dated the 14th February, 2020.